मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 89/2189/97/सी/चार

भोपाल, दिनांक 9-1-98.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय सेवकों को सेवा निवृत्ति को उनके अवकाश खाते में बाकी बचे अर्जित अवकाश के बदले नकद राशि की अदायगी.

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1-13/77/नि-1/चार, दिनांक 16-9-80 (प्रतिलिपिर संगल्न है) की कंडिका-1 (4) में इस प्रावधान का उल्लेख है कि शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के समय उनके अवकाश खाते में शेष अर्जित अवकाश के बदले नकद राशि की अदायगी, अर्जित अवकाश के लिये स्वीकार्य अवकाश वेतन तथा प्रचलित दरों पर उस अवकाश वेतन पर देय मंहगाई भत्ता (अतिरिक्त तथा तदर्थ मंहगाई भत्ता सहित) के बराबर होगी. इसमें कोई नगर क्षतिपूर्ति भत्ता तथा मकान किराया भत्ता आदि शामिल नहीं होगा तथा इस प्रकार देय राशि में से पेंशन के समतुल्य उपादान की राशि काटी नहीं जायेगी.

2. शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा सेवानिवृत्ति पर शेष अर्जित अवकाश की अदायगी अवकाश वेतन के साथ विशेष वेतन एवं प्रतिनियुक्ति वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जो उचित नहीं है. अत: शासकीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश की अदायगी पर विशेष वेतन एवं प्रतिनियुक्ति वेतन को अवकाश वेतन में न जोड़ा जाये.

3. ये आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल से तथा आदेशानुसार,
हस्ता/-
(जी. पी. सिंघल)
सचिव.
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृ. क्र. 90/2189/97/सी/चार

भोपाल, दिनांक 9-1-98.

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/आडिट 1/2 मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर।

7. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल।
8. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल।
9. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल।
11. सभी संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश.
12. सभी प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
13. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

हस्ता/-
(ए. आर. त्रिपाठी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक एफ. ए.-1/13/77/नि-1/चार/ भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 1980

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय सेवकों को सेवा निवृत्ति की तारीख को उनके अवकाश खाते में बाकी बचे अर्जित अवकाश के बदले मे नकद राशि की अदायगी।

शासकीय सेवकों को सेवा निवृत्ति की तारीख को उनके खाते में बाकी बची अर्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि का भुगतान करने का प्रश्न कुछ समय से शासन के विचाराधीन रहा है। इस मामले पर पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु का सेवा निवृत्ति के समय उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद राशि की अदायगी की जावे। इस प्रकार नकद राशि का भुगतान निम्न प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा :-

(1) यह सुविधा केवल अधिवार्षिकी पेंशन पर सेवा निवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को ही देय होगी।

(2) अर्जित अवकाश वेतन के समतुल्य नकद राशि का भुगतान अधिक से अधिक पात्रतानुसार 180 दिन के अर्जित अवकाश तक सीमित रहेगा तथा शर्त यह भी रहेगी कि इस प्रकार नगदीकरण तथा समर्पण अवकाश को कुल सीमा उससे अधिक नहीं होगी जो शासकीय सेवक उसकी पूरी सेवा में रहते वर्तमान आदेशों के अनुसार अवकाश का समर्पण करता।

(यह स्थिति निम्न उदाहरण से स्पष्ट की जाती है :-

एक शासकीय सेवक दिनांक 30-6-86 की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सेवा निवृत्त होगा। इस तिथि को उसकी कुल सेवा 32 वर्ष 7 माह एवं 5 दिन होती है। इस 32 वर्ष (पूर्ण वर्ष में सेवाकाल) के सेवा काल में उसने आठ बार 30-30 दिवस के अर्जित अवकाश का समर्पण विधमान नियमों के अनुसार किया। दिनांक 30-6-86 को उसे 180 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता है। उसने सेवा निवृत्त पूर्व अजित अवकाश नहीं लिया। कुल 32 पूर्ण वर्ष की सेवा पर उसे कुल 16 महीने तक के अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता होती है जिसमें से उसने आठ बार अर्जित अवकाश का समर्पण किया है, अत: दिनांक 30-6-86 को उसे 180 दिवस (अर्थात् छ: माह) के अर्जित अवकाश के नगदीकरण का लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि यह कुल अवधि 8-6=14 माह होती है, जो ऊपर बताये 16 माह से कम है)

(3) इस प्रकार अवकाश वेतन के समतुल्य स्वीकार्य नगद राशि सेवा निवृत्ती पर देय होगी तथा उसकी अदायगी एक ही बार निपटारे के रूप में एक मुश्त में की जावेगी।

(4) इस व्यवस्था के अंतर्गत नगद राशि की अगायगी अर्जित अवकाश के लिये स्वीकार्य अवकाश वेतन तथा प्रचलित दरों पर उस अवकाश वेतन पर देय मंहगाई भत्ता (अतिरिक्त तथा तदर्थ मंहगाई भत्ता सहित) के बराबर होगी। इसमें कोई नगर क्षतिपूर्ति भत्ता अथवा मकान किराया भत्ता आदि, शामिल नहीं होगा तथा इस प्रकार देय राशि में से पेंशन एवं पेंशन के समतुल्य उपादान की राशि काटी नहीं जावेगी।

(5) अवकाश स्वीकार करने वाला सक्षम अधिकारी, सेवा निवृत्ति की तारीख को कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान को स्वीकृति के आदेश स्वयंमेव हो जारी कर सकेगा।

2. यह आदेश राज्य शासन के उन कर्मचारियों को लागू होंगे जो इन आदेशों के प्रसारण के पश्चात सेवा निवृत्त होंगे। यह आदेश अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को लागू नहीं होंगे तथा राज्य शासन के उन कर्मचारियों को भी लागू नहीं होंगे जो आदेश

प्रसारण की तिथि को सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश (Leave prepratory to Retirement) अथवा अमान्य अवकाश (Refused Leave) पर हो।

3. इस निर्णय के परिणामस्वरूप शासकीय सेवकों द्वारा आवेदित सेवा निवृत्ति पूर्व अर्जित अवकाश को मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (लीव्ह) रूल्स 1977 के नियम 34(2) के अनुसार अमान्य (Refuse) करने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे ही कोई भी शासकीय सेवक उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के किसी अंश को भी सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में ले सकता है। उस मामले में उसको इस ज्ञाप में निहित शर्तों पर, उस अर्जित अवकाश के लिये इस ज्ञाप में निहित निर्देशानुसार लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी, जो सेवा निवृत्ति की तिथि को उसके खाते में जमा रही हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
हस्ता/-
(कान्त स्वरूप भटनागर)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-ए-1-13/77/नि-1/चार, भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 80

प्रतिलिपि :-

सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर।

नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल।

सतर्कता आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।

अवर सचिव/स्थापना, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।

अवर सचिव (अधीक्षण) मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल।

समस्त वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2. प्रतिलिपि महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. प्रतिलिपि सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4. प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ता/-
(ही. ना. सोनो)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।